तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक अपीलांट
श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उप राजकीय अभि0रेस्पो0

दिनांक : 20.5.2022

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–8–2005 के विरूद्ध धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस में कथन किया कि अपीलांट्स ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर कथन किया कि सिवायचक आराजी खसरा नंबर 132 रकबा 10 बीघा भूमि पर वे गत 40–50वर्षो से काबिज हैं फिर भी आवंटन अधिकारी तहसीलदार चित्तौडगढ ने बिना कोई जांच किये रेस्पो.सं.1 जो कि ना तो भूमिहीन है एवं ना ही ग्राम सॉकडा तहसील चित्तौडगढ का निवासी है वरन वह ग्राम बरडा बोरखेडी तहसील निम्बाहेडा का निवासी है, जो आवंटन का पात्र ही नहीं था, को गलत आवंटन किया है। आवंटी ने आवंटन की किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया है इसलिए उक्त आवंटन को कागजों में बहाल रखना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे। जिला कलक्टर चित्तौडगढ ने अपीलांट्स के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर आवंटी / रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन तलब किया। जिस पर आवंटी ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही होने से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकार कर अपना जवाब प्रस्तुत कर कहा कि वह मूलतः बरडा बोरखेडी का स्थानीय निवासी है, जिन दिनों आवंटन फार्म भरे जा रहे थे उन दिनों वह ग्राम सॉकडा में मजदूरी करने गया हुआ था तथा कुछ समय उपरान्त ही वह अपने मूल गांव चला गया और वही वर्षो से खेती बाडी कर रहा है। उसने आवंटित भूमि का कभी भी कब्जा नहीं लिया एवं ना ही कभी लगान ही जमा कराया। उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व अपीलांट्स ही काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। मैंने उक्त भूमि को समर्पण करने हेतु तहसीलदार चित्तौडगढ के यहां एक समपर्ण पत्र दिनांक 27–7–2004 को ही प्रस्तुत कर रखा है इसलिए आवंटन निरस्त भी किया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार का ऐतराज नहीं है। उक्त कथनों के साथ अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। तदुपरान्त जिला कलक्टर चित्तौडगढ ने दोनों पक्षकारान को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 2–4–2005 द्वारा अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को से खारिज कर दिया एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ ने निर्णय दिनांक 11–8–2005 द्वारा खारिज कर दी। उनका तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अविधिक तौर पर मात्र इस एक आधार पर आवंटी के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर और समर्पण पत्र को नजरअंदाज कर दिया कि यह दवाब के तहत दिया गया है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं आवंटन आदेश निरस्त किये जावें। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को समुचित बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिला कलक्टर चित्तौडगढ ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 को अपने निर्णय दिनांक 2–4–2005 द्वारा अस्वीकार किया है एवं यह अंकित किया है कि यदि आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की है तो तहसीलदार आवंटी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी निर्णय दिनांक 11–8–2005 द्वारा अपीलांट्स की अपील को अस्वीकार कर जिला कलक्टर चित्तौडगढ के आदेश दिनांक 2–4–2005 को यथावत रखा है। आवंटी / रेस्पो. ने जिला कलक्टर चित्तौडगढ के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर गैर खातेदारी की खाता संख्या 35 में वर्णित आराजी नंबर 26, 27, 28 को समपर्ण हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 27–7–2004 को प्रस्तुत किये जाने का कथन किया है। हमारी सुविचारित राय में रेस्पो. / आवंटी आराजी को समपर्ण करने के संबंध में नियमानुसार संबंधित अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	